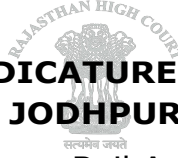




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6000/2026

Yunus Ali @ Baggu S/o Shri Bag Ali, Aged About 28 Years, R/o
Ward No. 05, Near Madarsa, Nai Khunja, Hanumangarh Junction,
Police Station Hanumangarh Junction, District Hanumangarh
(Lodged In District Jail, Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jaikishan Haniya
For Respondent(s)	:	Mr. Pawan Singh Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

08/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त युनस अली उर्फ बग्गु की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 275/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में सहअभियुक्त साबर खान की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 06.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त से भिन्न नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक



प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त युनस अली उर्फ बग्गु को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **युनस अली उर्फ बग्गु पुत्र बाग अली** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 275/2026 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में पचास हजार रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J